

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]	दिल्ली, शनिवार, मई 4, 2019/वैशाख 14, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 37
No. 88]	DELHI, SATURDAY, MAY 4, 2019/VAISAKHA 14, 1941	[N.C.T.D. No. 37

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 3 मई, 2019

सं.फा. 6/13/2018—न्याय/अधी.विधि./834—838.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फां. 1/2/70/डीएच(एस) दिनांक 29 मई, 1970 एवं अधिसूचना संख्या फां. 1/2/70/डीएच(एस) दिनांक 25 जुलाई, 1970 के द्वारा यथासंशोधित और इस संबंध में जारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .—

- (1) इन नियमों को दिल्ली न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जायेगा।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में आ जायेंगे।

2. नियम 28 का संशोधन .—

दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 (यहां बाद में 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) के नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“28 सीधी भर्ती द्वारा सेवा में की गई भर्ती अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 की उपधारा (1) में वर्णित किसी भी विकलांगता से पीड़ित) और भूतपूर्व सैनिक जिनमें आपातकालीन कमीशन अधिकारी एवं शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारी शामिल हैं, के लिए आरक्षण, विशेष प्रतिनिधित्व एवं अन्य रियायतें जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कानून या आदेशों द्वारा प्रदान किया जाता है यथा उपबंधित प्रावधानों के अधिन होगी:

बशर्ते कि दिव्यांग उम्मीदवारों को कुशलता से मेडिकल बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए जो नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश से पहले या बाद में गठित किए जा सकते हैं।”

3. परिशिष्ट का संशोधन:—उक्त नियमों में परिशिष्ट में,—

(1) खंड (ii) के बाद, द्वितीय पैरा में, “शारीरिक रूप से विकलांग (दृष्टिहीन/न्यून दृष्टि) (गतिशीलता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए)/ऑर्थोपेडिक रूप से” शब्दों के लिए, “विकलांगता वाले व्यक्ति” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) पैरा-5 शीर्षक “मौखिक परीक्षा” के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

“(5) मौखिक परीक्षा : मौखिक परीक्षा 150 अंक की होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिन्होंने प्रत्येक लिखित पेपर में 40 प्रतिशत अंक और कुल श्रेणियों में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, सिवाय आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग व्यक्ति के मामले में प्रत्येक लिखित पेपर में अर्हक अंक 35 प्रतिशत और कुल 45 प्रतिशत होंगे।

सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने की पात्रता के लिए मौखिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के एक उम्मीदवार को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्ति को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए।”

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 3rd May, 2019

No. F.6/13/2018-JudL/Suptlaw/834-838.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.1/2/70/DH(S) dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S) dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Judicial Service Rules, 1970, namely: -

1. Short title and commencement. -

- (1) These rules may be called the Delhi Judicial Service (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 28. -

In the Delhi Judicial Service Rules, 1970, (hereinafter referred to as the said rules) for rule 28, the following shall be substituted, namely: -

“28. Recruitment made to the service by direct recruitment shall be subject to provisions regarding reservation, special representation and other concessions for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Persons with Disability candidates (suffering from any of the disabilities mentioned in sub-section (1) of section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) and ex-servicemen including Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers, as provided by law or orders issued by the Central Government from time to time:

Provided that the Persons with Disability candidates should be capable of efficiently discharging their duties as Judicial Officer as per the satisfaction of the Medical Board that may be constituted before or after their names are recommended for appointment.”

3. Amendment of Appendix: In the said rules, in the Appendix, -

(1) after clause (ii), in para second, for the words, “Physically Handicapped (Blind / Low Vision) (mobility not to be restricted) / Orthopaedically” the words, “Persons with Disability” shall be substituted.

(2) for para-5, titled as “Viva Voce”, the following shall be substituted, namely: -

“(5) Viva Voce : Viva-Voce will carry 150 marks. Only such candidates will be called for viva voce who have obtained 40% marks in each written paper and 50% marks in the aggregate except in the case of candidates belonging to reserved categories, i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Persons with Disability in whose case the qualifying marks shall be 35% in each written paper and 45% in the aggregate.

A candidate of general category must secure minimum 50% marks and a candidate of reserved category, i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Persons with Disability must secure minimum 45% marks in viva-voce to be eligible for being recommended for appointment to the service.”

सं.फां. 6/13/2018-न्याय/अधी.विधि./839-843.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फां. 1/2/70/डीएच(एस) दिनांक 29 मई, 1970 एवं अधिसूचना संख्या फां. 1/2/70/डीएच(एस) दिनांक 25 जुलाई, 1970 के द्वारा यथासंशोधित और इस संबंध में जारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .—

- (1) इन नियमों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जायेगा ।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में आ जायेंगे ।

2. नियम 22 का संशोधन .—

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

“22 सीधी भर्ती द्वारा सेवा में की गई भर्ती अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 की उपधारा (1) में वर्णित किसी भी विकलांगता से पीड़ित) के लिए आरक्षण एवं अन्य रियायतें (आयु छूट के अलावा) जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कानून या आदेशों द्वारा प्रदान किया जाता है यथा उपबंधित प्रावधानों के अधिन होगी:

बशर्ते कि दिव्यांग उम्मीदवारों को कुशलता से मेडिकल बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए जो नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश से पहले या बाद में गठित किए जा सकते हैं।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

लवलीन, अतिरिक्त-सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

No.F. 6/13/2018-Judl/Suptlaw/839-843.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.1/2/70/DH(S) dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S) dated 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, namely: -

1. Short title and commencement. -

- (1) These rules may be called the Delhi Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 22. -

In the Delhi Higher Judicial Service Rules 1970, for rule 22, the following shall be substituted, namely: -

“22. Recruitment made to the service by direct recruitment shall be subject to provisions regarding reservation and other concessions (except age relaxation) for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Persons with Disability candidates (suffering from any of the disabilities mentioned in sub section (1) of section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) as provided by law or orders issued by the Central Government from time to time:

Provided that the Persons with Disability candidates should be capable of efficiently discharging their duties as Judicial Officer as per the satisfaction of the Medical Board that may be constituted before or after their names are recommended for appointment.”

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

LOVLEEN, Addl. Secy.